छोटे और सीमांत किसानों को ऋण का प्रवाह सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, मार्जिन राशि की आवश्यकता, प्रतिभूति मानदण्डों आदि के बारे में प्राथमिकता क्षेत्र उधारकर्ताओं को कुछ रियायतें प्रदान की गई है। इन रियायतों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(I) बैंकों को छोटे और सीमांत किसानों से 10,000 रुपए तक के फसल ऋण/मीयादी ऋणों के लिए मार्जिन राशि नहीं लेनी चाहिए।

(II) बैंकों को 25,000 रुपए तक के फसल ऋणों पर संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी के लिए जोर नहीं देना चाहिए। फसल के आहमान को प्रतिभूति माना जा सकता है।

(III) ब्याज की अदायगी के लिए केवल ऋण/निर्धारित किस्तों की वापसी अदायगी के समय ही बल देना चाहिए।

(IV) बैंकों को फसल ऋणों और मीयादी ऋणों के संबंध में इन किस्तों पर जो देय नहीं है, की चालू प्राप्य राशियों पर सम्मिश्र ब्याज नहीं लगाना चाहिए तथा ब्याज की गणना केवल वार्षिक आधार पर की जानी चाहिए।

(V) छोटे और सीमांत किसानों पर लगया गया ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

काले धन के विरुद्ध अभियान

700. **श्री नागमणि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काले धन के विरुद्ध कोई अभियान चलाया है; यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने काले धन का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार और अधिक काले धन का पता लगाने के लिए कोई विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) सरकार द्वारा स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना दिनांक 1.7.97 से शुरू की गई है और यह योजना दिनांक 31.12.97 तक लागू रहेगी। यह योजना संसाधन जुटाने तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निधियों को लगाने और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विगत में कर का अपवंचन किया है, अपनी अघोषित आय की घोषणा करने, उस पर उचित कर का भुगतान करने का अवसर प्रदान करने और भविष्य में उनके द्वारा ईमानदारी का रास्ता अपनाने तथा नागरिक दायित्व को निभाने के लिए लागू की गई थी। इसके साथ-साथ संदिग्ध कर अपवंचनों के मामलों में अनेक तलाशी एवं अभिग्रहण संबंधी कार्रवाईयां, पर्यवेक्षण, अभियोजन और गहन जाचं-पड़ताल की गई है।

(ख) इस संबंध में कोई सरकारी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार, कर अपवंचन की रोकथाम करने और विभाग के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए समय-समय पर ऐसे आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक और विधायी उपाय करती आ रही है, जिन्हें उचित समझा जाता है।

Outstanding Income Tax/Excise/Import Duty Claims of Industrial Houses in Maharashtra

701. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names of industrial houses in Maharashtra against whom outstanding amount of income tax/excise/import duty claims remain unsettled for more than 5 crore as on 31st March, 1997;

(b) total amount of central excise, import duty and income tax claims pending in Maharashtra as on 31st March, 1997 with top ten defaulters and amount of default;

(c) whether special efforts are being organised to ensure early settlement of disputed cases to boost up Government revenue, details of the programme undertaken; and

(d) details of the results achieved so far as per latest review?